

अभ्युक्त पक्ष / अभियुक्त पक्ष के
 न्यायिक कार्य स्थगित करना / पक्ष
 अन्य प्रशासनिक कार्य / दिनांक 1/3/24
 परतली मत आदेशानुसार दि. 1/3/24 को पक्ष है।

पगावली पेश हुई। वकील जर्जी उपस्थित।
 पगावली पेश हुई। वास्ते अनिल उपस्थित।
 दिनांक 28/3/24 को पेश है।

सहायक कलक्टर
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पगावली पेश हुई। अजर्जीगण सं. 1 लगावने की
 तारीख ही छुपी है। जाद लखील उपस्थित नहीं
 होते हैं अजर्जीगण सं. 1 लगावने के विरुद्ध
 पगावली कार्यवाही काल के लाई जाती है।
 वकील जर्जी के अपने जर्जीगण-पक्ष के पक्ष
 तर्कों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आम्बेकर
 698 रकबा 2.65 हेक्टर काट कर घातेला तस्वीर
 शाहपुरा (जयपुर) की अदि पर अजर्जीगण अर्द्ध
 प्रवेश नहीं करे, डिप्टी की उमर का उच्च फसल
 खास नहीं बनाते व शांतिपूर्वक कृषि कार्य में लगे
 बस आशु की अस्थाई निषेधाज्ञा तत्पश्चात् 24
 वाद तक जारी। कृपया ध्यान दें।

धुआ गमा। वास्ते अडिशन व निर्गत
 हेतु पगावली दिनांक 31/4/24 को पेश है।

सहायक कलक्टर
 शाहपुरा (जिला-जयपुर)

31/4/24 :- पगावली पेश हुई। वकील जर्जी उपस्थित।
 वकील जर्जी को अदालत पर फल दिया गया।
 पगावली व सिलेज सहायता का अवलोकन

सहायक कलक्टर
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

फर्द अहकाम

खुशन सिंह बनाम शैलान कौशिक

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (F.D) शाहपुरा - जयपुर

केस संख्या 43/2023

जारीना - फर्द अस्माई निवेदना 212RTA

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/4/24 लगाता	<p>दिया गया। प्रैक्टिस जर्नी राजस्व रिपोर्ट में रिपोर्ट खतियाना काबल है व इतिहास का सतुखन व अपूर्णता की को साबित करने में सफल रहे हैं एवं अपूर्णता के विरुद्ध परपत्रीय कार्यवाही काफल में लाई जा चुकी है अतः अपूर्णता, आराजी (नंबर 698 राजा 2.65 ई0 वाई शरद चानेला तहसील शाहपुरा की भूमि का तहसील शल वाद तक अर्द्ध रूप से प्रवेश नहीं करे, कच्चा पक्का रास्ता नहीं बनाये व माँठे की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>उक्त अस्माई निवेदना को तहसील शल वाद तक स्थायी/कच्चा दिया जा रहा है फावली फलल शुमार होकर दर्ज नंबर से पुनः हो व शल वाद के समुचित हो।</p>	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज